

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
रिट याचिका (पी. आई. एल.) सं. 04/ 2012

श्री संदीप कुमार सिंह और एक अन्ययाचिकाकर्तागण
बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य प्रतिवादीगण

श्री पी. सी. बिष्ट, उत्तराखंड राज्य के लिए स्थायी अधिवक्ता /प्रतिवादी संख्या 1 से 4
के अधिवक्ता

श्री शोभित सहारिया, प्रतिवादी संख्या 5 के अधिवक्ता

कोरम:

माननीय बारीन घोष, मुख्य न्यायाधीश .

माननीय वी. के. बिष्ट, न्यायाधीश.

बारीन घोष, मुख्य न्यायाधीश (मौखिक):

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई भी रिट याचिका पर बल देने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। तदनुसार, रिट याचिका गैर अभियोजन के लिए खारिज की जाती है।

माननीय वी. के. बिष्ट, न्यायाधीश.
न्यायाधीश .

माननीय बारीन घोष, मुख्य

29.04.2014